राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर-भवन" अजमेर

क्रमांकः एफ-7(93)जन/11-12/12580-12980 दिनांकः 29/08/12

1. समस्त जिला कलक्टर्स
   राजस्थान।
2. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक)
   जयपुर।
3. समस्त उप महानिरीक्षक
   पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक)
   राजस्थान।
4. **समस्त उप पंजीयकगण**
   राजस्थान।

विषय : **पंजीयन व्यवस्था को** सरल एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से 25 लाख रूपये से अधिक की मालियत के कृषि भूमि के हस्तांतरण दस्तावेज के साथ संबंधित पटवारी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट लेने के संबंध में निर्देश।

प्रसंग : **श्रीमान मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान सरकार द्वारा** जारी **परिपत्र क्रमांक** प.2(10)वित/कर/2010 दिनांक 24.8.12

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र में जारी किये गये दिशा-निर्देशो के क्रम में लेख है कि वित्तिय वर्ष 2012-13 के बजट भाषण के बिन्दु संख्या-242 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कृषि भूमि के दस्तावेजों की पंजीयन संबंधी व्यवस्था के साथ-साथ समग्र पंजीयन व्यवस्था को सरल एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से संबंधित पटवारी की पंजीयन पूर्व मौका रिपोर्ट के आधार पर तत्काल पंजीयन करने के प्रावधान करने की घोषणा की गई है।

माननीय मुख्य सचिव, महोदय द्वारा उपरोक्त परिपत्र जारी कर निर्देश दिये है कि इस विभाग के परिपत्र संख्या 8/2006 दिनांक 17.3.2006 के अनुसार 25 लाख रूपये से अधिक मूल्य की कृषि भूमि के हस्तांतरण की दशा में दस्तावेज के पक्षकारो द्वारा लिखित में आवेदन किये जाने पर संबंधित हल्का पटवारी निर्धारित प्ररूप में, हस्तांतरित की जाने वाली कृषि भूमि की मौका रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे एवं पक्षकारो को जारी की जाने वाली मौका निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे तथा आवेदन पत्रो का रजिस्टर में दिनांकवार इन्द्राज करेंगे। पटवारी को उक्त पंजीयन पूर्व मौका रिपोर्ट स्वयं के स्तर से जारी करने के लिये अधिकृत किया है।

उपरोक्त परिपत्र की प्रति, मौका निरीक्षण हेतु पटवारी को प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन पत्र, मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं पटवारी द्वारा संधारित किये जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप पत्र के संलग्न कर लेख है कि समस्त जिला कलक्टर्स अपने स्तर से समस्त तहसीलदारों एवं समस्त पटवारियों को निर्देशित करे कि पक्षकारो द्वारा कृषि भूमि का हस्तांतरण करने के उद्देश्य से, निर्धारित प्ररुप में आवेदन प्रस्तुत करने पर, पंजीयन पूर्व मौका निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्ररूप में संबंधित आवेदक को तत्काल उपलब्ध करावें।

समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि 25 लाख रुपये से अधिक मूल्य की कृषि भूमि का हस्तांतरण दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर संलग्न निर्धारित प्ररुप में पंजीयन पूर्व पटवारी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दस्तावेज के साथ लेना सुनिश्चित करें एवं ऐसे हस्तांतरण दस्तावेज को तत्काल पंजीबद्ध कर लौटावें।

अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षणगण, माननीय मुख्य सचिव, महोदय द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी उचित निर्देश अपने वृत के उप पंजीयको को देवें। उप पंजीयक कार्यालयो के निरीक्षण/कैम्प कोर्ट के दौरान भी इस बात की संतुष्टि करे की परिपत्र की पालना की जा रही है अथवा नही।

भवदीय,

संलग्न–उपरोक्तानुसार

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–7(93)जन/11–12/12981–13014 दिनांकः 29/08/12

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1- शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2- सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4- पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6- उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7- अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर ।
8- मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
9- उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
10- उप निदेशक (कम्पयूटर) मुख्यालय, अजमेर को पत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
11- समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
12- निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
13- समस्त शाखाऐं, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-93-G

F-7(पु)जन/III-12

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

1207
28.8.12

जयपुर दिनांक : 24-8-12

क्रमांक प.2(10)वित्त/कर/2010

परिपत्र

वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट भाषण मे मा0 मुख्यमंत्री द्वारा कषि भूमि के दस्तावेजों की पंजीयन संबंधी व्यवस्था के साथ-साथ समग्र पंजीयन व्यवस्था को सरल एंव गतिशील बनाने के उद्देश्य से संबधित पटवारी की पंजीयन पूर्व मौका रिपोर्ट के आधार पर तत्काल पंजीयन करने के प्रावधान करने की घोषणा की गई है ।

उक्त बजट घोषणा का उद्देश्य यह है कि कृषि भूमि के हस्तान्तरण से संबंधित कन्वेन्स डीड के पक्षकार यदि महानिरीक्षक,पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग द्वारा निधारित प्ररूप मे संबंधित हल्का पटवारी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट उपपंजीयक के समक्ष कन्वेन्स डीड के साथ प्रस्तुत करते हैं तो संबंधित उपपंजीयक ऐसी कन्वेन्स डीड का तत्काल पंजीयन कर लौटायेंगे।

पंजीयन के लिए कोई दस्तावेज उपपंजीयक के समक्ष प्रस्तुत होने पर उपपंजीयक को राजस्थान पंजीयन नियम, 2004 के नियम 57 के तहत सम्पत्ति का मौका निरीक्षण करने की शक्तियां प्राप्त हैं। इस क्रम में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के परिपत्र संख्या 8/2006 कमांक एफ 7(75)जन/06/5079 दिनांक 17.03.2006 के द्वारा 25 लाख रूपये या कम मालियत के दस्तावेजों की सम्पत्ति का मौका निरीक्षण रेण्डम के आधार पर एवं 25 लाख रूपये से अधिक मालियत के दस्तावेजों के मामलों मे सम्पत्ति के अनिवार्य मौका निरीक्षण की व्यवस्था की गई है।

अतः इस घोषणा की पालना मे समस्त जिला कलक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के उक्त परिपत्र संख्या 8/2006 दिनांक 17.03.2006 के अनुसार 25 लाख रुपये से अधिक मूल्य की कृषि भूमि के हस्तान्तरण की दशा मे दस्तावेज के पक्षकारों द्वारा लिखित मे आवेदन किये जाने पर संबंधित हल्का पटवारी महानिरीक्षक, पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग; अजमेर द्वारा निर्धारित प्ररूप मे हस्तान्तरित की जाने वाली कृषि भूमि की मौका निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे एवं पक्षकारों को जारी की जाने वाली मौका निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति अपने रिकार्ड मे सुरक्षित रखेंगे तथा आवेदन पत्रो का रजिस्टर मे दिनांकवार इन्द्राज करेंगे। पटवारी उक्त पंजीयन पूर्व मौका रिपोर्ट स्वयं के स्तर से जारी करने के लिए अधिकृत होगें।

संलग्न :- 1. आवेदनपत्र का प्रारूप।
2. मौका निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप
3. पटवारी द्वारा संधारित रजिस्टर का प्ररूप

24/8/12
(सी0 के0 मैथ्यू)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1.प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग
2.प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग
3.महानिरीक्षक पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर
4.समस्त जिला कलक्टर्स को भेजकर लेख है कि कृपया इस परिपत्र प्रति सभी तहसीलदारों, पटवारियों एवं उपपंजीयकों को भिजवाकर इसकी पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

उप शासन सचिव, वित्त (कर)

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
सामान्य प्राप्ति क्रमांक 1107 दिनांक 27/8/12
हस्ताक्षर प्राप्ति लिपिक
शाखा निर्देश हेतु देना है।
स्था./...../पंजीयन/लेखा/स्टाम्प्स/निरीक्षण/
सांख्यिकी/...../बिल/स्टोर्स/...
हस्ताक्षर कार्या0अधीक्षक
महानिरीक्षक

कृषि भूमि के लिए पटवारी द्वारा किये गये मौका निरीक्षण का प्रतिवेदन
(राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम –57)

1. ग्राम का नाम ....
2. पटवार मण्डल ....
3. निरीक्षण दिनांक ....
4. विक्रेता का नाम एवं विवरण ....
5. क्या विक्रय की जा रही भूमि विक्रेता के नाम खातेदारी में दर्ज है..........
6. यदि विक्रेता पॉवर ऑफ अटार्नी है तो उसका विवरण ....
7. विक्रेता द्वारा अपनी पहचान हेतु प्रस्तुत पहचान–पत्र(भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान–पत्रों में से कोई एक पहचान–पत्र) ....
8. क्रेता द्वारा अपनी पहचान हेतु प्रस्तुत पहचान–पत्र(भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान–पत्रों में से कोई एक पहचान–पत्र) ....
9. भूमि का विवरण–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म– सिंचित/असिंचित	मौके पर पड़त

10. क्या विक्रय की जा रही भूमि The Criminal Law (Amendment) Act, 1961 की धारा 3 के तहत अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है ?..........
11. यदि हाँ तो क्या क्रेता ऐसे अधिसूचित क्षेत्र का निवासी है ?..........
12. यदि नहीं, तो क्या क्रेता ने ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में प्रवेश हेतु संबंधित जिले के जिला कलक्टर से प्राप्त अनुमति प्रस्तुत की है ?..........
13. क्या विक्रय की जा रही भूमि खनन लीज का भाग है..........
14. यदि हां तो वर्तमान में खनन कार्यो के अधीन है या कृषि कार्यो के अधीन है ....
15. क्या भूमि नेशनल/हाइवे/मेगा हाइवे/स्टेट हाइवे पर स्थित है ....
16. यदि हां तो:–
    (क) सड़क सीमा से 100 मीटर की परिधि में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल ....
    (ख) 100 मीटर के अधिक किन्तु 500 मीटर तक की परिधि में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल ....
    (ग) 500 मीटर के पश्चात शेष भूमि का क्षेत्रफल ....
17. क्या भूमि में कुआ/या ट्यूबवेल खुदा हुआ है..........
18. क्या भूमि पर कोई निर्माण है ....
19. यदि हां तो निर्माण की प्रकृति..........
    (क) आवासीय –भूमि का क्षेत्रफल ....निर्मित भाग ....
    (ख) व्यावसायिक– भूमि का क्षेत्रफल..........निर्मित भाग ....
    (ग) औद्योगिक– भूमि का क्षेत्रफल ....निर्मित भाग ....
    (घ) संस्थागत –भूमि का क्षेत्रफल ....निर्मित भाग ....
20. निर्माण की श्रेणी–आर.सी.सी/पट्टी पोश/टीन शैड(यदि तीनो श्रेणी हो तो उनका अलग–अलग क्षेत्रफल ....
21. क्या चारदीवारी निर्मित है–हां/नहीं ....
    (यदि हां तो क्षेत्रफल..........रनिंग मीटर)..........
22. अन्य कोई टिप्पणी यदि आवश्यक हो..........

हस्ताक्षर पटवारी,
पटवार हल्का,

पंजीयन पूर्व मौका रिपोर्ट हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

सेवा में,

पटवारी,
पटवार मण्डल......................................
तहसील...
जिला..

विषय :– कृषि भूमि की मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने बाबत।

आवेदक का नाम..

पता ....

फोन नं..

आवेदक विक्रेता है या क्रेता......................

आवेदक द्वारा अपनी पहचान हेतु प्रस्तुत पहचान–पत्र(भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्रा- पहचान–पत्रों में से कोई एक पहचान–पत्र) ....

क्या हस्तान्तरित की जारी कृषि भूमि The Criminal Law (Amendment) Act, 1961 की धारा 3 - तहत अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है (हां/नहीं)..

यदि हां तो क्या क्रेता उस अधिसूचित क्षेत्र का निवासी है (हां/नहीं)..
(यदि नहीं तो संबंधित जिला कलक्टर से उस अधिसूचित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर अनुमति–पत्र आवेदन–पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक है)

भूमि का विवरण

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म– सिंचित/असिंचित	मौके पर पड़त

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

पटवारी द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	राजस्व रिकार्ड के अनुसार हस्तान्तरित की जाने वाली कृषि भूमि का विवरण एवं क्षेत्रफल	आवेदक क्रेता है या विक्रेता	आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक	पंजीयन पूर्व मौका रिपोर्ट जारी करने की दिनांक	पंजीयन पूर्व मौका रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर मय नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7